



भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की भूमिका

डॉ. गौरी सिंह परते

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)

शासकीय महाविद्यालय

मेंहदवानी, जिला डिन्डौरी, मध्यप्रदेश, भारत

प्रस्तावना

लोकतंत्र को विश्व के सबसे अच्छे राजनीतिक शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने और उनकी जाति, रंग, पंथ धर्म या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। हमारे देश में सरकार आम लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह उनकी बुद्धि एवं जागरूकता है, जिससे वे सरकार की सफलता या विफलता निर्धारित करते हैं।

भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, जिस पर सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपीय साम्राज्यवादियों द्वारा राष्ट्र बनाया गया था। नवीन संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' के अनुसार केवल 13 प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त था। मताधिकार प्राप्त करने की बड़ी-बड़ी शर्तें थीं। केवल अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाता था। इसमें विशेषतः वे ही लोग थे, जिनके कंधों पर विदेशी शासन टिका हुआ था। जब 26 जनवरी, 1950 को हमारा देश गणतंत्रिक बन रहा था तथा हमारा देश का संविधान लागू हो रहा था, उसी के एक दिन पहले 25 जनवरी, 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। 1947 में देश की

आजादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। उसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार मिला। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां और आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इन्हीं कारणों से भारत को विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत में केन्द्र और राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर 5 वर्ष में संसदीय और राज्य विधान सभा चुनाव आयोजित किये जाते हैं।

लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा

लोकतंत्र जैसे बहुआयामी शब्द की व्याख्या करते समय राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र राज्य व्यवस्था में सभी की साझेदारी की बात करता है। इसका आर्थिक स्वरूप सभी प्रकार के शोषण के अंत पर बल देता है। समाजिक दृष्टि से यह सभी प्रकार के भेद-भाव मिटाने का प्रयास करता है। प्रो. डायसी के अनुसार "लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें समाज का अपेक्षकृत एक बड़ा अंग शासन कार्यों में लिप्त होता है।" प्रो. लार्ड ब्राइस के अनुसार, "लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ किसी वर्ग/वर्गों तक सीमित न रह कर समाज के सभी सदस्यों में निहित होती है।" पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार "लोकतंत्र अच्छा शासन है



यह मैं इस लिए कहता हूँ कि दूसरी शासन प्रणालियाँ दूषित व्यवस्थाएँ हैं।”

लोकतंत्र का उद्भव

ग्रीक शब्द डेमोस (Demos) से हुआ है। इस ग्रीक शब्द का अर्थ है - गरीबों, सामान्य जनों तथा सबसे कम समझदारों का शासन। इसीलिए अरस्तू ने लोकतंत्र को 'भीड़ का राज्य' अथवा एक विकृत शासन प्रणाली बताया था। शब्द कोश लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन बताते हैं। इसी संदर्भ में अब्राहम लिंकन ने अपने गैट्स बर्ग भाषण (1883) में लोकतंत्र को "जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए" शासन कहा था। जार्ज बर्नार्ड शा के शब्दों में, "प्रजातंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य सभी लोगों का यथासंभव अधिक से अधिक कल्याण करना है।" डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि, "लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता समाज जीवन के आमूल सिद्धांत होते हैं।"

भारत में लोकतंत्र

भारत दुनिया का 7वां (क्षेत्रफल में) और दूसरा (जनसंख्या में) सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, फिर भी यह एक युवा राष्ट्र है। अठारहवीं सदी के मध्य में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने उपनिवेश की स्थापना तक इसके बहुत से इतिहास मुगल और राजपूत शासकों के अधीन रहे हैं। सन 1947 की आजादी के बाद भारत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली को स्वीकार किया गया। चुनाव में वोट देना गणतंत्र में यज्ञ की तरह है, जहां हर एक वोट आहुति के समान है। यह हम सभी भारतवासियों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। हर एक वोट जरूरी है, और

हर एक वयस्क नागरिक के लिए मतदान करना जरूरी है। लोकतंत्र के प्रतीक भारतीय संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग व चुनाव प्रक्रिया की अवधारणा, समानता व स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही हर व्यक्ति के वोट को भी महत्वपूर्ण बनाती है। इसी वजह से भारतीय लोकतंत्र संपूर्ण विश्व में परिपक्वता व स्थिरता के लिए जाना जाता है। इसका सारा श्रेय भारतीय मतदाओं को जाता है।”¹

भारतीय राजनीति में लोकतंत्र का कार्यप्रणाली

भारत लोकतंत्र का एक संघीय रूप है, जिसके अंतर्गत केन्द्र में एक सरकार जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, तथा राज्यों के लिए अलग-अलग सरकारें हैं, जो उनके विधानसभाओं के लिए समान रूप से जवाबदेह है। भारत के कई राज्यों में चुनाव कराये जाते हैं, जिनमें कई पार्टियाँ केन्द्र-राज्यों में चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। अक्सर लोगों को सबसे योग्य उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन फिर भी जातीय समीकरण भारतीय राजनीति में भी एक बड़ा कारण है, चुनावी प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं।² भारत में लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। हालांकि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्वव्यापी प्रशंसा प्राप्त हुई है, पर अभी भी कई क्षेत्र हैं जिनमें भारत में लोकतंत्र के सुधार की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र को सही मायने में परिभाषित किया जा सके। सरकार को लोकतंत्र के साथ-साथ लैंगिक



भेद-भाव को खत्म करने के लिए भी काम करना चाहिए।”³

लोकतंत्र का उद्देश्य

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में लोकतंत्र की सम्पूर्ण व्याख्या की गई है। लोकतंत्र के कुछ मौलिक उद्देश्य एवं विशेषताएं निम्न हैं -

- 1 जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी
- 2 उत्तरदायी सरकार
- 3 जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना
- 4 सीमित तथा संवैधानिक सरकार
- 5 भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा
- 6 निष्पक्ष और आवधिक चुनाव
- 7 वयस्क मताधिकार
- 8 सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा
- 9 जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार
- 10 निष्पक्ष न्याय
- 11 कानून का शासन
- 12 विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति

लोकतंत्र का महत्व

लोकतंत्र का महत्व केवल चुनावों में नहीं है, समाज में एक अटूट विश्वास भी है, कि एक प्रजातांत्रिक समाज को चुनाव से ही उसके महत्व को समझा जा सकता है। 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत को प्रजातंत्र का निर्णायक सिद्धांत माना जाता है। विश्व में अनेक शासन प्रणालियाँ हैं। उनमें लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन-प्रणाली मानी जाती है। लोकतंत्रात्मक पद्धति में जनता द्वारा

चुने गए प्रतिनिधि विधायिका में पहुंचकर जनहित का ध्यान रखते हुए शासन का संचालन करते हैं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के मतदाता निरक्षर भले ही हों, पर वे मूर्ख नहीं हैं। उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव भी नहीं है। उन्होंने अनेक बार राजनीतिक दलों के राजनेताओं को धूल चटाई है। 1947 से 1967 तक कांग्रेस का एक छत्र शासन चलता रहा। 1967 में भारत के मतदाताओं ने कांग्रेस को हल्का-सा झटका दिया, इसके बाद कई प्रदेशों में साझा सरकारें बनीं। 1977 के चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी को पराजित करके लोकतंत्र की शक्ति की परिपक्वता का परिचय दिया। जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने संभाला। गुटों में बटे नेताओं के स्वार्थ ने भारतीय मतदाताओं की आशाओं पर पानी फेर दिया। निराश जनता ने पुनः कांग्रेस को शासन की बागडोर सौंप दी। परन्तु बोफोर्स घोटाले के प्रति अपना असंतोष प्रकट करते हुए मतदाताओं ने 1989 में राजीव गांधी को भी पराजित कर दिखाया। तब वी. पी सिंह के नेतृत्व में साझा सरकार बनी। यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा न कर सकी। और पुनः कांग्रेस को शासन का अधिकार दे दिया। नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते हुए अनेक घोटाले सामने आये तब जनता ने कांग्रेस को पुनः सबक सिखाया। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार अस्तित्व में आई, जिस पर कांग्रेस का निरंतर दबाव बनाए रखा और 1998 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला। उसे भी 17-18 दलों का समर्थ के लिए उनकी उचित-अनुचित



मांगों को मानना पड़ा। इस प्रकार सरकार पूरी शक्ति से अपने कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पायी। 1999 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ इसमें 16-17 अन्य छोटे-छोटे दल शामिल थे। इस प्रकार की गठबंधन सरकार को चलाना कोई आसान बात नहीं थी। पर सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। इसके प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह बने। विपक्ष पार्टी तरह-तरह की आरोप लगाती रही पर सरकार ने अपना दो पंचवर्षीय कार्यकाल पूरा किया। 2014 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार का गठन हुआ जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने।

इन स्थितियों के बावजूद भारत के लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल है। यह दौर कुछ समय पश्चात समाप्त हो जायेगा। समान विचार वाले दलों का धुवीकरण हो रहा है। लोकतंत्र में समस्याएं तो आती हैं, पर उनका समाधान भी निकल आता है। भारत का लोकतंत्र अब परीक्षा की घड़ी से गुजर चुका है। भारतीय मतदाताओं ने अनेक बार अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। भारतीय मतदाता अशिक्षित हो सकते हैं, पर अज्ञानी नहीं हैं।⁴

लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति

लंदन स्थित द इकोनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल दुनियाभर के देशों के लिए 'डेमोक्रेसी इंडेक्स' यानी लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। 2018-19 के लिए 167 देशों का यह सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल की तुलना में भारत को एक पायदान का फायदा मिला है, इसके बावजूद भारत को दोषपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में रखा गया है। पिछले सालों में भारत

को 2017-18 दोनों वर्षों में समान रूप से सबसे कम स्कोर मिला। इस रिपोर्ट में 167 देशों की सूची में भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। लेकिन एशिया और आस्ट्रेलिया समूह में शामिल भारत को छठा स्थान मिला है। भारत को 7.23 अंक मिले हैं। अलग-अलग पैमाने पर देखा जाय तो चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में 9.17 सरकार की कार्यशैली में 6.79, राजनीतिक भागीदारी में, 7.22, राजनीतिक संस्कृति में 5.63 और नागरिक आजादी में 7.35 अंक भारत को दिये गये हैं। अपने 71 वर्षों के सफर में भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा है, यह देखने के लिए इन वर्षों का इतिहास, देश की उपलब्धियाँ देश की सामाजिक-आर्थिक दशा, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की जरूरत है। भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की कल्पना पर आधारित है। यह विविधता ही इसकी खूबसूरती है। भारत और एशिया के अन्य देशों के बीच यह अंतर है कि पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में उनके विशिष्ट धार्मिक समुदायों का दबदबा है, इसके बावजूद धर्मनिरपेक्षता भारत का एक बेहद सशक्त पक्ष रहा है। सूचकांक में भारत का पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में होने के पीछे यह एक बड़ा कारण है।

पिछले 71 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। देशवासियों का जीवन-स्तर पहले से बेहतर हुआ है। सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग एक ही समाज में एक साथ रहते हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष, विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने कामयाबी हासिल की है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया की छठी बड़ी शक्ति है। आज भारत के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। लेकिन



किसी लोकतंत्र की सफलता को आंकने के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं कि देश का विकास तो हुआ है लेकिन देखना यह होगा कि विकास किन वर्गों का हुआ। समाजिक समरसता के धरातल पर विकास का यह दावा कितना सटीक बैठता है। दरअसल किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, लैंगिक भेद-भाव, और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है ? और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने के कई प्रयास हुए हैं। लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां

भारत में लोकतंत्र के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं एवं चुनौतियां हैं। इन समस्याओं में सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, अपराधीकरण, क्षेत्रीय विभिन्नताएँ, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, जनसंख्या वृद्धि आदि मुख्य हैं। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता तब तक भारत सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता है और न ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।

भारतीय लोकतंत्र में सुधार के लिए क्षेत्र

1 गरीबी का उन्मूलन करना, 2 साक्षरता अभियान को बढ़ावा देना, 3 लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना, 4 लोगों को सही उम्मीदवार चुनने के लिए शिक्षित करना, 5 बुद्धिमान और शिक्षित लोगों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना, 6 साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करना, 7 निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित करना, 8 निर्वाचित सदस्यों के काम-काज की निगरानी करना

9 लोकसभा तथा विधान सभा में जिम्मेदार विपक्ष का निर्माण करना आदि।

निष्कर्ष

भारत के लोकतंत्र की दुनिया भर में काफी प्रशंसा की जाती है। देश के हर नागरिक को जाति, रंग, पंथ, धर्म लिंग या शिक्षा के आधार पर किसी भी भेद-भाव के बिना वोट देने का अधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र को विश्व की सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं और नेताओं ने शासन प्रणाली के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन किया। लेकिन अभी भी इसे सुधार का काफी लंबा सफर तय करना है। देश की विशाल सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में लोकतंत्र के काम-काज पर असर डालने वाली अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक भेद-भाव और सांप्रदायिकता जैसे कारकों को समाप्त करने की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्र के सुचारु कार्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों को रोकने तथा अपने देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ

- 1 25 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति का अभिभाषण
- 2 उज्ज्वल कुमार सिंह भारत में राज्य, प्रजातंत्र और आतंक विरोधी कानून, पृ. 54
- 3 अभय कुमार दुबे लोकतंत्र के तलबगार, पृ. 23-24, वाणी प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली, 2007
- 4 [Http://evirtualguru.com](http://evirtualguru.com)